–:: कार्यालय कलेक्टर (कोषालय शाखा), जिला–बालोद (छ.ग.) ::–

दूरभाष/फैक्स क्रमांक–07749–223730, email-id-st.balod.cg@nic.in

क्रमांक/304/कलेक्टर/जि.को.अ./निर्देश/2017–18 बालोद, दिनांक 7/03/2018

// परिपत्र //

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जिला – बालोद (छ.ग.)

––00––

प्रायः देखने में आ रहा है कि कतिपय कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राज्य शासन के नियमों/निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण महालेखाकार, आयकर विभाग एवं एन.एस.डी.एल. मुम्बई द्वारा कड़ी आपत्ति ली जा रही है।

अतः सख्त हिदायत दी जाती है कि छ.ग. शासन वित्त विभाग के निर्देशों के साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों एवं एन.एस.डी.एल. मुम्बई के नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संयुक्त कियान्वयन के लिए जारी निर्देशों के अनुसार निम्न मुख्य निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. **वित्त निर्देश 32/2006 :–** कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 अनुसार बिना तत्कालिक आवश्यकता के कोषालय से कोई भी शासकीय धनराशि आहरित न की जावे अर्थात् मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से राशि आहरित कर बैंक खाते में जमा करना एक गंभीर अनियमितता है। अतः वित्त निर्देश 32/2006 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर 5 अप्रैल 2018 को चालू खाता एवं बचत खातों में जमा शेष का विस्तृत विवरण जिला कोषालय अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे।
2. **वित्त निर्देश 77/2012 :–** कोषालय में सिम्पल रिसिप्ट बिल के माध्यम से अनियमित आहरण प्रतिबंधित करने के लिए वित्त निर्देश के माध्यम से कोषालय संहिता के प्रावधानों तथा बजट में व्यय के वर्गीकरण अनुसार उद्येश्य शीर्ष के आधार पर निर्धारित देयक प्रारूप में राशि आहरण हेतु आदेशित किया गया है। जिसका पालन अक्षरसहः नहीं किये जाने के कारण बिलों में आपत्ति होने से कार्य प्रभावित होता है। अतः निर्देश अनुसार सही निर्धारित देयक प्रारूप में ही अभियुक्ति अनुसार निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. **वित्त निर्देश 64/2013 :–** यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा कोषालय संहिता 284 का पालन ना करते हुए कोषालय से राशि आहरित कर लंबी अवधि तक बैंक खातों में जमा रखा जा रहा है। अतः ऐसी आहरित राशि 31 मार्च

2018 तक अवितरित पड़ी रहती है तो इसे तत्काल राज्य शासन को वापस किया जावे एवं इसकी सूचना जिला कोषालय अधिकारी को लिखित में प्रस्तुत की जावे।

4. **वित्त निर्देश 34/2015 एवं 67/2017 :–** राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की अधिकतम समयावधि 06 माह निर्धारित की गई है किन्तु इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अतः सेवानिवृत्त, मृत एवं त्यागपत्र इत्यादि के पश्चात् पूर्ण तत्परता के साथ अंतिम भुगतान प्रकरण पेंशन नियम 1976 के फार्म 26 में वचन पत्र सहित महालेखाकार को प्रेषित किया जावे।

5. **वित्त निर्देश 19/2012 एवं 32/2016 :–** शासकीय भुगतान के लिए ई–पेमेंट प्रणाली लागू कर सभी भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने का निर्देश जारी किया गया है। अतः राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था का पालन कड़ाई से किया जावे। विशेष परिस्थिति में प्रपत्र – 2 कंडिका –3(iii) में मेरी अनुमति से ही चालू खाता में भुगतान हो सकेगा।

6. **वित्त निर्देश 49/2017 :–** नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का मासिक अंशदान समय पर जमा करने के उद्देश्य से समस्त वेतन देयक माह की 26 तारीख तक कोषालय/उपकोषालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। आहरण अधिकारियों द्वारा इस समयनिष्ठता का पालन नहीं किया जा रहा है जो निर्देश अवहेलना का द्योतक है। अतः निर्देश का पालन कड़ाई से किया जावे अन्यथा लापरवाही बरतने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी से ब्याज वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

7. **वित्त निर्देश 58/2017 :–** नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत जमा राशि का आंशिक आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंशिक आहरण की प्रकिया मेल के द्वारा आपको भेजी जा रही है। अतः निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।

8. **वित्त निर्देश 02/2018 :–** अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाता (शासकीय सेवक) के अधिवार्षिकी आयु में सेवानिवृत्ति होने पर अंतिम माह का अंशदान कटौती न किये जाने का निर्देश पारित किया गया है। अतः वित्त निर्देश की कंडिका 02 एवं 03 का कड़ाई से पालन किया जावे।

9. **टी.डी.एस. (स्त्रोत पर कटौती) एवं आयकर रिटर्न जमा करने संबंधी निर्देश :–** आयकर अधिकारियों के प्रावधानों के तहत टी.डी.एस./टी.सी.एस. हेतु आयकर विभाग द्वारा आवश्यक जानकारी देने के बावजूद सही कार्यवाही का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः निम्न निर्देशों का पालन कठोरता से किया जावे :–

   1. अधिकारी/कर्मचारी के वेतन में से पिछले वर्ष के कुल टी.डी.एस. (आयकर) राशि का 12वां हिस्सा प्रत्येक माह अनिवार्यतः कटौती किया जावे। अंतिम माह में 50 प्रतिशत या अधिक टी.डी.एस. कटौती करने पर संबंधित आहरण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

2. आयकर की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी (जिनकी कुल आय 2.50 लाख या अधिक है) चाहे वे आयकर के दायरे में आते हो या नहीं उन्हें फार्म 16 ट्रेसेस की वेबसाईट से अपलोड कर प्रदाय की जावे और उन्हे आयकर रिटर्न जमा करने हेतु निर्देशित कर पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे तथा माह अगस्त 2018 के वेतन देयक के साथ तदाशय का प्रमाण पत्र जमा किया जावे।
3. पूर्व वर्षों की बकाया मांग का निराकरण करने हेतु प्रेषित सूची अनुसार आयकर विभाग से निराकरण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
4. आयकर अधिनियम के प्रावधान अनुसार शासकीय सेवकों के अलावा अन्य भुगतान यथा भवन किराया, किराये का वाहन, तकनीकी/व्यावसायिक सेवा, रायल्टी आदि पर भी नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती की जावे।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(डॉ. सारांश मित्तर)
कलेक्टर
बालोद (छ0ग0)

पृ. कमांक/ /कलेक्टर/जि.को.अ./निर्देश/2017–18 बालोद, दिनांक /03/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बालोद की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

(डॉ. सारांश मित्तर)
कलेक्टर
बालोद (छ0ग0)